PRESS RELEASE

BIS raids Portable Fire Extinguisher Unit

Bureau of Indian Standards (BIS) conducted enforcement raid at M/S Palladium Safety Solutions Pvt. Ltd., C-31, First Floor, DDA Shed, Okhla Phase-1, Delhi-110020. The firm was manufacturing portable fire extinguisher having BIS mark under brand name "Palex" without having valid BIS Licence, violating Section 11 (1) of BIS Act, 1986 under which there is a provision of fine of Rs. 50,000/- and/or one year imprisonment.

भारतीय मानक ब्यूरो

(डीएलबीओ-1)

प्रेस रिलीज

भारतीय मानक ब्यूरो ने छापा मारा

भारतीय मानक ब्यूरो (भामाब्यूरो) ने 18 अगस्त 2017 को नई दिल्ली में मैसर्स पैलेडियम सेफ्टी सोल्यूश्नस प्रा. लि., सी-31, फस्ट फ्लोर, डी डी ए शेड, ओखला फ़ेज-1, दिल्ली-110020 पर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई भामाब्यूरो का वैध लाइसेंस लिए बिना "पैलेक्स" ब्रांड नाम के अंतर्गत फायर एक्सटिंगिवशर का निर्माण कर रही थी, जो भामाब्यूरो अधिनियम 1986 की धारा 11(1) का उल्लंघन है। भामाब्यूरो अधिनियम के अनुसार भामाब्यूरो से लाइसेंस लिए बिना मुहर का उपयोग या इसकी नकल दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 50,000/- रुपए का जुर्माना अथवा/और एक वर्ष की सजा हो सकते हैं।